न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :— 17/2024 दायरा दिनांक 26.09.2024

GCMS No. 2024/48

पीठासीन अधिकारी :— श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. फूलसिंह पुत्र नाथू जाति सहरिया निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला बारां
2. पप्पू पुत्र नाथू जाति सहरिया निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला बारां
3. हरिचरण पुत्र नाथू जाति सहरिया निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला बारां
4. राजेन्द्र पुत्र नाथू जाति सहरिया निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला बारां
5. विनोद पुत्र नाथू जाति सहरिया निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला बारां
6. शांति पुत्री नाथू जाति सहरिया निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला बारां
7. भूरीबाई पुत्री नाथू जाति सहरिया निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला बारां
8. कलाबाई पत्नि नाथू जाति सहरिया निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला बारां। **— अपीलान्टस्**

— बनाम :—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां राजस्थान
2. बाबू पुत्र मिश्रीलाल जाति सहरिया निवासी ग्राम कलोनी तहसील शाहबाद जिला बारां राजस्थान
3. खैरू पुत्र मिश्रीलाल जाति सहरिया निवासी ग्राम कलोनी तहसील शाहबाद जिला बारां राजस्थान
4. रामकली पुत्री मिश्रीलाल पत्नि बिज्जी जाति सहरिया निवासी ग्राम कलोनी हाल कस्बानोनेरा तहसील शाहबाद जिला बारां राजस्थान
5. सोनाबाई पत्नि मिश्रीलाल जाति सहरिया निवासी ग्राम कलोनी तहसील शाहबाद जिला बारां
6. कला पुत्री रतनलाल पत्नि घासी जाति सहरिया निवासी ग्राम कलोनी हाल पहाडीजागीर तहसील शाहबाद जिला बारां राजस्थान । **— रेस्पोडेन्टस**

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 02—12—2010 बावत फौती नामान्तरकरण नम्बर 937 ग्राम कलोनी

निर्णय दिनांक 20.11.2024

अपीलान्ट द्वारा यह अपील बनाराजगी इंतकाल नम्बर 937 दिनांक 02.12.2010 ग्राम कलोनी को निरस्त करने बाबत इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसीलदार, शाहबाद द्वारा प्रमाणित किया गया इंतकाल विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई।

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कॉलोनी पटवार हल्का मुंडियर, तहसील शाहबाद में खाता संख्या 302 की आराजी खसरा नम्बर 554 रकबा 3.18 बीघा, खसरा नम्बर 585 रकबा 4.14 बीघा, खसरा नम्बर 699 रकबा 2.02 बीघा, खसरा नम्बर 700 रकबा 3.00 बीघा किता 4 कुल रकबा 13. 14 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी अपीलाण्टस तथा रेस्पोडेण्ट की पैतृक है, जिसमें हिस्सा 2/3 रेस्पोडेण्ट कम 2 ता 6 के नाम दर्ज है तथा हिस्सा 1/3 के मूल खातेदार नाथू पुत्र रतनलाल कोम सहरिया साकिन कलोनी रहे हैं, जिनकी मृत्यु के बाद दर्ज विरासत नामान्तरण में अपीलाण्ट क्रम 1 फूलसिंह का नाम फूलचंद, अपीलाण्ट क्रम 6 शांति का नाम सन्ति तथा अपीलाण्ट कम 7 भूरीबाई का नाम भूरिया गलत दर्ज कर दिये हैं. इसके अलावा नाथू के वारिसान में गोचई नाम पुत्र के रूप में गलत दर्ज किया है, जबकि गोचई नाम का कोई पुत्र ही नहीं है और अपीलाण्ट क्रम 4 व 5 राजेंद्र तथा विनोद का नाम दर्ज ही नहीं किया है, जबकि राजेंद्र तथा विनोद खातेदार नाथू के पुत्र हैं। इस कारण प्रश्नगत नामान्तरण खारिज किये जाने योग्य है। के.सी.सी. बनवाने हेतु दिनांक 18/09/2024 को हल्का पटवारी से नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर अपीलाण्टस को ज्ञात हुआ कि विवादित आराजी खाते में उपरोक्त त्रुटियां की गई हैं, तब उसी दिन हल्का पटवारी जी से प्रश्नगत नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की और सर्वप्रथम ज्ञान से आज यह अपील उचित न्याय शुल्क पर अन्दर

Scanned with OKEN Scanner

मियाद पेश है। पूर्व की डिले जानकारी के अभाव में क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम साथ संलग्न है।

रेस्पोडेण्ट क्रम 2 ता 6 ने उपस्थित होकर निम्न जबाव अपील पेश किया है।

1. यह कि ग्राम कलोनी पटवार हल्का मुण्डियर तहसील शाहाबाद में खाता संख्या 302 की आराजी खसरा नम्बर 554 रकबा 3.18 बीघा, खसरा नम्बर 585 रकबा 4.14 बीघा, खसरा नम्वर 699 रकबा 2.02 बीघा, खसरा नम्बर 700 रकबा 3.00 बीघा किता 4 कुल रकबा 13. 14 बीघा कृषि भूमि स्थित है।

2. यह कि उक्त आराजी अपीलाण्टस तथा रेस्पोडेण्ट की पैतृक होना स्वीकार है, जिसमें हिस्सा 2/3 रेस्पोडेण्ट क्रम 2 ता 6 के नाम तथा हिस्सा 1/3 के मूल खातेदार नाथू पुत्र रतनलाल कोम सहरिया साकिन कलोनी के नाम दर्ज रहा हैं, नाथू के 5 पुत्र कमशः फूलसिंह, पप्पू, हरिचरण, राजेन्द्र व विनोद दो पुत्रियां शांति, भूरीबाई तथा पत्नि कलाबाई है, जो मृत नाथू के वारिसान हैं। नामान्तरण में अपीलाण्ट क्रम 1 का नाम फूलचंद, अपीलाण्ट क्रम 6 का नाम सन्ति तथा अपीलाण्ट क्रम 7 का नाम भूरिया गलत दर्ज कर दिये हैं। गोचई नाम का कोई पुत्र नाथू के नहीं है। इस कारण प्रश्नगत नामान्तरण खारिज किये जाने योग्य है।

3. यह कि अपील की मद नंबर 3 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

4. यह कि अपील की मद नंबर 4 स्वीकार है। यह कि अपील की मद नंबर 5 व 6 कानूनी है।

अतः जबाब अपील पेश कर निवेदन है कि अनुतोष अपील अनुसार नाथू के वारिस के नाम दुरूस्त करने के आदेश फरमावें।

विद्वान वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट क्रम 1 का नाम फूलसिंह का नाम फूलचंद, अपीलाण्ट क्रम 6 शान्ति का नाम सन्ति तथा अपीलाण्ट क्रम 7 का भूरीबाई का नाम भूरिया इसके अलावा नाथू के वारिसान में गोचई नाम पुत्र के रूप में गलत दर्ज कर दिये हैं। फौती नामान्तरकरण खोलते समय नामान्तरकरण नम्बर 937 दिनांक 02.12.2010 में अपीलान्ट क्रम 1 फूलसिंह, अपीलान्ट क्रम 6 शान्ति व अपीलान्ट क्रम 7 भूरीबाई के स्थान पर क्रमशः फूलचन्द, सन्ति और भूरिया गलत दर्ज कर दिया है, इसके अलावा नाथू का गोचई नाम का कोई पुत्र नहीं है और अपीलान्ट क्रम 4 व 5 राजेन्द्र तथा विनोद का नाम दर्ज ही नहीं किया है। जबकि राजेन्द्र तथा विनोद खातेदार नाथू के पुत्र है। अपीलान्ट क्रम 1, 6 व 7 का सही नाम क्रमशः फूलसिंह, शान्ति व भूरीबाई है। सम्पूर्ण कार्यवाही सर्वथा अवैध विधि विरूद्ध होने से नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया। विद्वान वकील ने कहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट क्रम 1 फूलसिंह, अपीलान्ट क्रम 6 शान्ति व अपीलान्ट क्रम 7 भूरीबाई के स्थान पर क्रमशः फूलचन्द, सन्ति और भूरिया गलत दर्ज कर दिया है, इसके अलावा नाथू का गोचई नाम का कोई पुत्र नहीं है और अपीलान्ट क्रम 4 व 5 राजेन्द्र तथा विनोद का नाम दर्ज ही नहीं किया है। जबकि राजेन्द्र तथा विनोद खातेदार नाथू के पुत्र है। अपीलान्ट क्रम 1, 6 व 7 का सही नाम क्रमशः फूलसिंह, शान्ति व भूरीबाई हैं। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड आधार कार्ड में अपीलान्टस् के नाम फूलसिंह, शान्ति व भूरीबाई है। अपीलान्टस् के नाम फूलचन्द, सन्ति और भूरिया गलत दर्ज किया गया हैं, जबकि पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड में अपीलान्टस् के वास्तविक नाम फूलसिंह, शान्ति व भूरीबाई है। अपीलान्ट क्रम 4 व 5 राजेन्द्र तथा विनोद का नाम दर्ज ही नहीं किया है। जबकि राजेन्द्र तथा विनोद खातेदार नाथू के पुत्र है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम कलोनी का इंतकाल नं. 937 दिनांक 02.12.2010 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलान्ट के नामों की जांच कर नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण दर्ज किया जावें। मूल इंतकाल नं. 937 दिनांक 02.12.2010 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार शाहबाद को प्रेषित किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(जब्बर सिंह)
न्यायालय अति0 कलक्टर
शाहाबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner